

दीवानी निगरानी संख्या 21 वर्ष 2025

दिनांक: 21.05.2025

पुकार करायी गयी। पुकार पर निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री इस्तियाक अहमद खान उपस्थित आये।

निगरानीकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा ट्रेक कंसाएमेंट रिपोर्ट द्वारा सूची फेहरिस्त प्रस्तुत किये गये और तर्क दिया गया कि विपक्षी संख्या 05 व 06 पर कंसाएमेंट रिपोर्ट के अनुसार नोटिस की तामीली हो चुक है। पत्रावली में संलग्न नोटिस द्वारा नजारात के परिशीलन से विदित होता है कि विपक्षी संख्या 06 के पिता द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया। विपक्षी संख्या 06 के संबंध में ट्रेक कंसाएमेंट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी। अतः विपक्षी संख्या 06 पर नोटिस की तामीली पर्याप्त मानी जाती है। विपक्षी संख्या 05 पर भी कंसाएमेंट रिपोर्ट के अनुसार नोटिस की तामीली पर्याप्त प्रतीत होती है। शेष विपक्षीगण पर नोटिस की तामीली नहीं है। कागज संख्या 15ग/6 के अनुसार विपक्षी संख्या 02 बलजीत सिंह की मृत्यु उनके पुत्र हरपिन्दर सिंह द्वारा होना बतायी गयी है। इस आशय की रिपोर्ट आदेशिका वाहक द्वारा 15ग/6 की पुस्त पर की गयी है। निगरानीकर्ता विपक्षी संख्या 02 के विषय में आवश्यक पैरवी किया जाना सुनिश्चित करे। शेष विपक्षीगण में से विपक्षी संख्या 05 व 06 को छोड़कर पुनः नोटिस दोनों प्रकार से जारी की जाये। पैरवी अन्दर तीन में पूर्ण हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग/अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 10.07.2025 को पेश हो।

सिकन्द कुमार त्यागी
जिला जज,
उधम सिंह नगर।

र ऋ ण ऊ ०